

:::आदेश :::

3/10

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, 4 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ मे दिनांक 07.10.2013 से दिनांक 06.12.2013 (40 कार्य दिवस) तक आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दिनांक 30.09.2013 तक कार्यभार ग्रहण कर चुके निम्न वाणिज्य कर अधिकारियों (2010 बैच) को नामित किया जाता है :-

वाणिज्य कर अधिकारी 2010 बैच

क्रम संख्या	वाणिज्य कर अधिकारी का नाम	सम्बन्धीकरण जोन
1.	श्री उमेश	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन लखनऊ प्रथम
2.	सुश्री दमयन्ती गंगवार	सम्बद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद

उक्त नामित अधिकारियों को दिनांक 07.10.2013 की प्रातः 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होना है। इस प्रशिक्षण में किसी भी अधिकारी को छूट नहीं दी जायेगी।

प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम योगदान हेतु दिशा निर्देश

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं (मेस का एक माह का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरान्त किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- अपनी फोटो आई0डी0 मूल रूप में साथ लेकर आये
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी।
- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लाये।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक /शालीन पहनावे में रहना होगा। प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कभी भी अस्त-व्यस्त स्थिति में न देखे जायें तथा वे अपने केश को सुव्यवस्थित रखें।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/भंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी मोबाइल वाइब्रेटिंग अथवा रिंग आफ मोड में रख सकते हैं।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- आधारभूत/व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ कम से कम एक माह के खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आये तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्च हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- सर्दी के मौसम के दृष्टिगत प्रशिक्षु अधिकारी गरम पानी हेतु इगरजन राड एवं कम्बल रजाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर आये।

उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोंपरान्त अवमुक्त किये जाने पर अपने वर्तमान तैनात / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनपरान्त जारी किया जा रहा है।

(विनोद कुमार सिंह)


ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(Handwritten signature)

पृष्ठोंकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4. विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, 30प्र0शासन, लखनऊ ।
5. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात उक्त सूची में अंकित अधिकारियों को दिनांक 07.10.2013 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से अवमुक्त करते हुये निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
7. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
8. ~~असि0कमि0 (आई0टी0)~~ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
9. सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से ।



(विनोद कुमार सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0) वा0कर0,

मुख्यालय, लखनऊ ।

